(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खंड–3 उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना सं. 38/2015–2020

नई दिल्ली, दिनांकः 12 अक्तूबर, 2022

विषयः वर्ष 2022–23 हेतु केवल टूटे हुए चावल (एचएस कोड 1006 40 00) का निर्यात कोटा।

सा.आ.(अ):– विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और पैरा 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (वर्ष 1992 की सं. 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) 2018, अनुसूची–II (निर्यात नीति) के अध्याय 10 के एचएस कोड 1006 40 00 के अंतर्गत केवल टूटे हुए चावल, जिसकी निर्यात नीति 'निषिद्ध' है, के निर्यात हेतु 3,97,267 मी. टन. (एलएमटी) कोटे को वर्ष 2022–23 हेतु 31 मार्च 2023 तक की अवधि हेतु अधिसूचित करती है।

2. 3,97,267 मी.टन के निर्यात कोटे को आवेदकों जिनके एलसी अधिसूचना संख्या 31/2015–2020 दिनांक 8 सितंबर, 2022 से पूर्व खोले गए हैं और भारतीय और विदेशी बैंक के बीच संदेश के आदान–प्रदान की तिथि/त्वरित तिथि भी 8 सितंबर, 2022 से पूर्व की हो, को विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अलग से अधिसूचित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार का संवितरण किया जाएगा।

3. **अधिसूचना का प्रभावः**

वर्ष 2022–23 में निर्यात किए जाने वाले एचएस कोड 1006 40 00 के अंतर्गत केवल 3,97,267 मी.टन. टूटे हुए चावल का कोटा जो केवल अधिसूचना संख्या 31/2015–2020 दिनांक 8 सितंबर, 2022 से पूर्व खोले गए साख पत्रों पर लागू है और भारतीय और विदेशी बैंक के बीच संदेश के आदान–प्रदान की तिथि/त्वरित तिथि भी 8 सितंबर, 2022 से पूर्व की हो, को अधिसूचित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी
12.10.2022

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार

(फा. सं. 01/91/171/35/एएम–20/ई–फाइल/पार्ट–I/ई–19680 से जारी)